न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 40/16 निर्णय दिनांकः– 20–01–2020
(आरसीएमएस सख्या 2012/00190)

1. लूणाराम पुत्र किशनाराम(मृतक)
1/1. कानाराम पुत्र लूणाराम
1/2. मु. मंगली बेवा लूणाराम
2. उदाराम पुत्र किशनाराम
3. नरसीराम पुत्र किशनाराम
4. मु. मोहनी पुत्री किशनाराम
जाति नायक निवासीगण चाण्डासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 16–02–2012
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री श्यामदीन पड़िहार, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के निर्णय दिनांक 16–02–2012 जिसके द्वारा अपीलांट्य का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट्स/वादीगण के पूर्वज किशनाराम के नाम ग्राम गुतरायत तहसील

कोलायत के खसरा नम्बर 06 में तादादी 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि पुश्तैनी है जिस पर अपीलांट्स का पीढ़ियों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। ग्राम गुजरायत का राजस्व रिकार्ड वर्ष 1998 में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा समरी सेटलमेंट तैयार किया गया। तत्समय अपीलांट्स के पिता/पति किशनाराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के कब्जे काश्त के अनुसार पैमाईश करने का निवेदन किया गया था। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर भू–प्रबन्ध विभाग की उपरोक्त कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलांट्स ने अपने हक व हकूकों एवं अधिकारों की धोषणा हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे बिना किसी ठोस आधार के मात्र वादपत्र को निरस्त करने की मंशा से वाद का निस्तारण कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्टेट की तरफ से जवाब प्राप्त किये बिना व उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर बिना तनकीयात् कायम किये, अपीलांट को साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील के माध्यम से दावा खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत रिकार्ड का ही कोई अवलोकन किया गया। अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है ना कि वादपत्र पर किसी प्रकार की कोई तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि खसरा नम्बर 06 की 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट्स को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वादीगण/अपीलांट्स के पिता/पति के नाम कभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रही है ना ही वादगत् भूमि पर अपीलांट अथवा उनके पिता का कभी कब्जा काश्त रहा है। यदि भू–प्रबन्ध कार्यवाही के समय यदि कोई भूल रही गई अथवा भूमि दर्ज नहीं की गई थी तो तत्समय ही गैर खातेदारी, खातेदारी अथवा खसरा शुद्वि के बाबत् सक्षम

अधिकारी के समक्ष कार्यवाही की जानी चाहिए थी। अपीलांट/वादीगण के पिता के नाम तत्समय आवश्यकतानुसार अर्थात राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि दर्ज कर दी गई थी व वादगत् भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने के कारण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबा राज दर्ज की गई थी। अपीलांट/वादीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों व रिकार्ड के बाहर जाकर वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट/वादीगण उक्त भूमि को बहाल कराने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा राजस्व रिकार्ड व कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांट्स/वादीगण का वाद खारिज किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक व खातेदारी अधिकारों के बाबत् ग्राम शहर गुजरायत तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 06 की 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि हेतु अन्तर्गत धारा 88, 15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात् पुश्तैनी कब्जा काश्त की है तथा वर्तमान में वादीगण का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त के आधार पर वादपत्र लाया गया है। इस संबंध मे हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट्स/वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन जारी नोटिस वर्ष 1986, 1988, 1990, 1993 व 1994 के प्रतियॉ व तावान की रसीदें प्रस्तुत की गई है। परन्तु किसी भी दस्तावेज से वादीगण/अपीलांट्स यह साबित नहीं कर पाया है कि टीनेन्सी एक्ट प्रभाव में आने की तिथि या कानून द्वारा निर्धारित तिथियों को वे किस नियम के तहत खातेदारी अधिकार हासिल करने के हकदार थे। वादी/अपीलांट्स केवल पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा का अनुतोष चाहते है, जो कानून सम्मत् नहीं है।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि संवत् 2012 से पूर्व अपीलांट्स /वादीगण के पूर्वज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने व कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी

हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो व अपीलांट/वादीगण के अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते। अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–02–2012 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 20–01–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.03 11:40:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: